

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक :- प.27(16)न्याय / 1993 Part-I

जयपुर, दिनांक : 19 MAY 2026

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक स्थाई आदेश दिनांक 09.02.2024 के बिन्दु सं 39 में वर्णित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों में पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील/नो अपील के अंतिम विनिश्चय हेतु पत्रावली माननीय विधि मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

हो

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. वरिष्ठ उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि/वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि/कार्मिक विभाग।
9. निजी सचिव, समस्त विशिष्ट शासन सचिव, विधि विभाग।
10. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
11. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव, विधि